लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1586
09 दिसंबर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

पंजाब में एमएसएमई की वृद्धि

1586. श्री मलविंदर सिंह कंग:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पंजाब के पारंपरिक हथकरघा एवं वस्त्र समूहों में वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता एवं रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उन्हें प्रधानमंत्री मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र एवं परिधान (पीएम मित्र) पार्क पहल में एकीकृत करने के लिए सरकार द्वारा किए गए विशिष्ट उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उत्पादन संबद्ध-प्रोत्साहन योजना ने पंजाब में वस्त्र निर्माण एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की वृद्धि को किस प्रकार प्रभावित किया है तथा गत दो वर्षों के दौरान निवेश, रोजगार एवं निर्यात सम्बन्धी आंकड़ों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार समर्थ योजना के अंतर्गत पंजाब के वस्त्र क्षेत्र में कौशल विकास का समर्थन कर रही है;

(घ) क्षेत्र के युवाओं एवं महिला बुनकरों को लाभ पहुँचाने के लिए कौन से नए विशिष्ट कार्यक्रम आरंभ किए जा रहे हैं; और

(ङ) तकनीकी वस्त्र के लिए अनुसंधान एवं उद्यमिता अनुदान (जीआरईएटी) योजना के अंतर्गत पंजाब में नवाचार एवं उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है और इसके अंतर्गत कितने स्थानीय स्टार्टअप को सहायता दी गई है?

उत्तर
वस्त्र राज्य मंत्री
(श्री पबित्र मार्घेरिटा)

(क): पीएम मित्र योजना का उद्देश्य एकीकृत वस्त्र पार्कों के रूप में बड़े पैमाने और एकीकृत विश्वस्तरीय औद्योगिक सुविधाओं का विकास करना है जिससे भारतीय वस्त्र उद्योग को पैमाना बनाने, लॉजिस्टिक लागत को कम करने और इसकी प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने में मदद मिल सके। 5 एफ विजन (फार्म टू *फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन*) पर आधारित, यह योजना एक ही स्थान पर एक आधुनिक और एकीकृत वस्त्र मूल्य श्रृंखला के निर्माण के साथ-साथ भारत के वस्त्र उद्योग को वैश्विक आकार और पैमाने को प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करती है। इस योजना के तहत, सरकार ने कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और गुजरात में एक-एक पीएम मित्र पार्कों की स्थापना के लिए 7 (सात) स्थलों को मंजूरी दी है। पीएम मित्र पार्क लॉजिस्टिक और लेनदेन की लागत को कम करते हुए एक ही स्थान पर स्पिनिंग, विविंग, प्रसंस्करण और प्रिंटिंग से लेकर गारमेंट विनिर्माण और ऐसेसरीज तक एक एकीकृत वस्त्र मूल्य श्रृंखला बनाने का अवसर प्रदान करेंगे।

इसके अलावा, मंत्रालय देश भर के वस्त्र केंद्रों में विश्वस्तरीय, अत्याधुनिक अवसंरचना वाले वस्त्र पार्क बनाने में सहायता के लिए एकीकृत वस्त्र पार्क (एसआईटीपी) योजना भी क्रियान्वित कर रहा है। यह योजना दिनांक 31.03.2021 तक लागू थी, तथापि, इस योजना को अब सिर्फ़ चल रही परियोजनाओं को पूरा करने के लिए वस्त्र क्लस्टर विकास योजना (टीसीडीएस) की व्यापक योजना के तहत शामिल कर लिया गया है। एसआईटीपी के तहत, पंजाब में, 3 वस्त्र पार्क पार्क मंज़ूर किए गए और पूरे किए गए, जिसमें कुल 116 करोड़ रुपये का भारत सरकार की हिस्सेदारी जारी की गई है।

(ख): सरकार एमएमएफ अपैरल, एमएमएफ फैब्रिक्स और तकनीकी वस्त्रों के उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना लागू कर रही है, ताकि वस्त्र उद्योग को आकार और पैमाना प्राप्त करने तथा इन क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धी बनने में सक्षम बनाया जा सके। आज तक, वस्त्रों के लिए पीएलआई योजना के तहत कुल 91 कंपनियों का चयन किया गया है, जिनमें से, 36 एमएसएमई श्रेणी के तहत पंजीकृत हैं। इस योजना के तहत, 4 पीएलआई कंपनियां पंजाब में स्थित हैं, जिनमें से 03 एमएसएमई श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। दिनांक 30.09.2025 तक पीएलआई वस्त्र योजना का समग्र निष्पादन निम्नानुसार है:

(i) निवेश: ₹7,731 करोड़
(ii) रोज़गार: 30,838 नौकरियाँ
(iii) निर्यात: ₹733 करोड़
(iv) टर्नओवर: ₹7,290 करोड़

(ग): वस्त्र मंत्रालय की समर्थ (वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए योजना) विशेष रूप से संगठित वस्त्र और उससे जुड़े क्षेत्रों में नौकरियां सृजित करने में उद्योग की कोशिशों को सहायता प्रदान करने के लिए मांग आधारित, प्लेसमेंट आधारित कौशल कार्यक्रम प्रदान करती है। इस योजना के तहत, कुल 1,207 लाभार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया है (उत्तीर्ण) और पंजाब राज्य में शुरू से लेकर दिनांक 03.12.2025 तक 862 लाभार्थियों को रोजगार प्राप्त हुआ है।

(घ): वस्त्र मंत्रालय विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) का कार्यालय के माध्यम से पंजाब सहित देश भर में हस्तशिल्प क्षेत्र के संरक्षण और संवर्धन के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) और व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना (सीएचसीडीएस) नामक दो योजनाओं को क्रियान्वित करता है। इन योजनाओं के तहत, विपणन कार्यक्रमों, कौशल विकास, क्लस्टर विकास, उत्पादक कंपनियों के गठन, कारीगरों को प्रत्यक्ष लाभ, अवसंरचना और प्रौद्योगिकी सहायता, अनुसंधान और विकास सहायता आदि के माध्यम से कारीगरों को सम्पूर्ण सहायता के लिए आवश्यकता आधारित सहायता प्रदान की जाती है जो पंजाब के फुलकारी शिल्प सहित पारंपरिक शिल्प को लाभान्वित करता है। वर्ष 2025-26 के दौरान, पंजाब में 21 कार्यक्रम आयोजित किए गए और नवंबर, 2025 तक 1,097 कारीगर लाभान्वित हुए।

(ङ): राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (एनटीटीएम) के तहत, तकनीकी वस्त्र क्षेत्र में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी वस्त्रों में आकांक्षी नवप्रवर्तकों को अनुसंधान और उद्यमिता के लिए अनुदान (ग्रेट) योजना शुरू की गई है। यह योजना प्रत्येक स्वीकृत स्टार्ट-अप के लिए 50 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ग्रेट योजना के तहत, पंजाब में स्थित एक (1) स्टार्ट-अप परियोजना को विशेष वस्त्रों के क्षेत्र में मंजूरी दी गई है।

****